(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
आदिती राठौड पुत्री भवानीसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (02)		मुकेश कवर पत्नी संग्रामसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 62/2026

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.02.2026	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री हुकमसिह चौधरी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। विप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत व श्री नरेन्द्रसिंह सियाग द्वारा वकालतनामा पेश। स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर विप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा बहस हेतु अवसर चाहा जाकर बहस नहीं किये जाने का निवेदन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा पुनः आत्यांतिक आवश्यकता होने पर एकपक्षीय बहस का निवेदन करने पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 एक हिन्दू परिवार के सदस्य है, जो पूर्व पुरूष खुमानसिंह के वारिशान है। पूर्वज खुमानसिंह का देहांत होने पर उनके पैतृक खातेदारी के खेत मौजा आदर्श नगर (बरियाड़ा), तहसील शिव के खसरा नम्बर 259, 530, 531, 532, 533 रकबा क्रमशः 2.0153, 2.0072, 2.3876, 1.9830, 2.3391 हैक्टेयर तथा मौजा खोड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1 रकबा 10.0848 हैक्टेयर के आये हुए है। उक्त विवादित पैतृक एवं सहदायिकी आराजी में प्रार्थीगण के पिता व पति भवानीसिंह का 1/2 हिस्सा तथा विप्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता व पति संग्रामसिंह का 1/2 हिस्सा आया हुआ है तथा उक्त आराजी पक्षकारान् को विरासत में प्राप्त हुई है। चूंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक सहदायिकी सम्पति में उनके पुत्र, पुत्री, पौत्र, पौत्री, प्रपौत्र का जन्म से अधिकार निहित हो जाता है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पूर्वज भवानीसिंह द्वारा अपने हिस्से से अधिक हकतर्कनामा निष्पादित करवाया गया है, जो प्रार्थीगण के हक हिस्सा तक अवैध, शून्य एवं निष्प्रभाव है। उक्त विवादित आराजी में प्रार्थीगण का भी हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। वर्तमान में विप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उनके पैतृक खातेदारी से वंचित रखने हेतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का सहारा लेकर सम्पूर्ण आराजी का बैचान अजनबी क्रेताओं को कर भूमि खुर्द बुर्द करने पर आमादा है, जबकि विप्रार्थीगण को ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थी... मकसद में कामयाब हो गये तथा प्रार्थीगण को उनके पैतृक हक हिस्से से ... बेदखल किया जाता है अथवा भूमि का बैचान ... अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति ... नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व हिस्सा में दखलदांजी नहीं करने, विवादित आराजी का हस्तांतरण नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावे।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व पुरूष खुमाणसिंह से उनके पुत्रों प्रार्थीगण/विप्रार्थीगण के पिता/पति को पैतृक रूप से प्राप्त होने से हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 व 8 अनुसार उनके पुत्र/पुत्रीयों/पौत्र/पौत्रियों का भी जन्मतः हक हिस्सा निहित हो जाता है। प्रार्थीगण पूर्व पुरूष खुमाणसिंह के पुत्र भवानीसिंह की जाइंदा संतान होने से उसका भी उक्त विवादित आराजी में हक हिस्सा निहित होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों के आधार पर भूमि का बैचान या हस्तांतरण आदि किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आंशका रहेगी तथा प्रार्थीगण के पैतृक खातेदारी अधिकारों पर कुठाराघात होगा। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा आदर्श नगर (बरियाड़ा), तहसील शिव के खसरा नम्बर 259, 530, 531, 532, 533 रकबा क्रमशः 2.0153, 2.0072, 2.3876, 1.9830, 2.3391 हैक्टेयर तथा मौजा खोड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 1 रकबा 10.0848 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के जवाब/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 6/3/26 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

6.3.26 पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी के दीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 23.04.26 को पेश हो।

23.04.26 पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब तथा शेष विप्रार्थीगण की तामिली हेतु दिनांक 28.04.2026 को पेश।

28.04.26 पत्रावली पेश। वाकुलाम उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद [illegible] अन्य वाद के साथ शामिल किया जा चुका है। अतः मूल वाद के अन्य वाद के साथ कन्सोलिडेट

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:58 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य एवं महत्व नहीं होने पर उक्त आवेदन को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है।

पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:58 IST
Reason: SelfAttested